जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

42
68

क्रमांक : एफ–31(30)आर.टी.आई./विविध/13/डी– 4609 दिनांक : 29-11-2013

परिपत्र

1. प्रायः यह देखा गया है कि प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिबद्धता (Commitment) जाहिर की जाती है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को उसके द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र के अनुसार चाही गई सूचना 7 से 10 दिवस में उनके द्वारा उपलब्ध करादी जावेगी। उनकी इस प्रतिबद्धता (Commitment) के आधार पर अपील की सुनवाई अर्थात निर्णय दिनांक से 7 से 10 दिवस का और समय दिया जाकर अपीलाण्ट को वांछित सूचना एवं दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णयों की पालना समय सीमा में नहीं करने के कारण अपीलाण्ट को माननीय राजस्थान सूचना आयोग में आवश्यक परिवाद अथवा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पडता है।

यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 19(6) के अनुसार निर्धारित अवधि एवं प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान उनकी प्रतिबद्धता (Commitment) के अनुसार दी गई 7 से 10 दिवस की अवधि अर्थात करीब 70 दिवस (अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रथम अपील में पारित निर्णय की पालना हेतु निर्धारित दिनांक तक) की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यहां तक माननीय राजस्थान सूचना आयोग में परिवादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिवाद/द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान, प्रथम अपील की सुनवाई के समय की गई प्रतिबद्धता (Commitment) के संबंध में संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि " जोन में सूचना उपलब्ध नहीं है" यह उचित नहीं है।

माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा उक्त स्थिति को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए असंतोष जाहिर किया गया है। अतः सभी संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपील में पारित निर्णय की पालना हर सम्भव स्थिति में निर्धारित अवधि में ही सुनिश्चित की जावें। प्रथम अपील में पारित निर्णयानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारियों की प्रतिबद्धता के आधार पर उन्हें दी गई समयावधि में निर्णय की पालना नहीं करने अर्थात आवेदक/अपीलाण्ट को नियत समय में सूचना एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण यदि किसी अपीलाण्ट द्वारा माननीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील/परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिये स्वयं संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी उत्तरदायी होगें। राज्य लोक सूचना अधिकारी की उक्त लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण हुये उक्त व्यय भार का जविप्रा के स्तर से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

2 प्रायः यह भी देखा गया है कि प्रथम अपील अधिकारी एवं सूचना आयोग में विचाराधीन द्वितीय अपील/परिवादों में सुनवाई हेतु नियत दिनांक को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे है। उनके द्वारा अधीनस्थ स्टाफ को सुनवाई के दौरान पैरवी हेतु भेज दिया जाता है, यह उचित नहीं है; क्योंकि उपस्थित स्टाफ भलीभांति प्रकरण की सही स्थिति की जानकारी देने में प्रायः असमर्थ रहते है। पूर्व में भी इस संबंध में विभिन्न आदेशों द्वारा सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है।

अतः पुनः सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन प्रथम अपील एवं सूचना आयोग में विचाराधीन द्वितीय अपील एवं परिवादों में सुनवाई हेतु नियत दिनांक को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करने की सुनिश्चितता की जावें, अन्यथा परिस्थितियों में उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधि जो कि तहसीलदार की रैंक से कम न हो, को आवश्यक रूप से नियत दिनांक को सुनवाई के समय उपस्थित हो कर पैरवी करन हेतु निर्देशित किया जावें। राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी, जिसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

(विष्णु चरण मल्लिक)
प्रथम अपील अधिकारी एवं
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार एवं विशेषाधिकारी, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
2. उप सचिव एवं उप रजिस्ट्रार, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (वित्त/विधि/आयोजना/अभियान्त्रिकी-I, II), जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
9. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
10. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
11. राज्य लोक सूचना अधिकारी, ... जविप्रा, जयपुर।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त आयुक्त
(आर.एम.एण्ड सी.)